

लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सख्ती के साथ कार्यवाही, 13 लोगों से 23600

रुपए जुर्माना

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है! निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम क्षेत्र में लॉक डाउन की अवहेलना करने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है! निगम क्षेत्र में जहां भी अनावश्यक रूप से दुकानें खुली होती हैं उन्हें जुर्माना लगाकर उनकी दुकानों को बंद कराया जा रहा है! दिन और रात्रि दोनों ही समय निगम की टीम पूरे शहर का भ्रमण कर रही है! रविवार की रात्रि को जुबली पार्क सिविक सेंटर में फिर से कार्यवाही की गई, सिविक सेंटर के तीन होटल संचालक ग्राहक को वहीं पर खाना सप्लाई कर रहे थे! तीनों से जुर्माना वसूल कर नियमों का पालन करने समझाइश दी गई इसी प्रकार से सूर्या मॉल से अवंती बाई चौक जाने वाले रास्ते में तीन ढाबा संचालकों से जुर्माना लिया गया! टीम रात्रि में भ्रमण करते हुए स्मृति नगर पहुंची वहां के दो होटल संचालकों से जुर्माना लिया गया इस प्रकार रविवार की बीती रात्रि को उपायुक्त अशोक द्विवेदी, जोन के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे , बालकृष्ण नायडू एवं मलखान सिंह सोरी तथा पुलिस बल की संयुक्त टीम ने 8 लोगों से 12000 रुपए जुर्माना वसूल किया! इन होटल/ढाबों में नियमों की अवहेलना करते हुए ग्राहकों को होटल में ही पार्सल देने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी! जोन क्रमांक 2 की टीम ने एकता चौक कैलाश नगर कुरुद में बेकरी दुकान खुला पाए जाने पर दुकान को बंद कराते हुए व्यवसायी से 1000 रुपए जुर्माना वसूल किए तथा सब्जी व्यवसायी से अधिक समय तक विक्रय करने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया गया! जोन क्रमांक 5 की टीम ने सेक्टर 7 चौक के पास अधिक समय तक ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यक्ति से 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया! इस व्यवसायी को समय का ध्यान रखने रविवार को भी समझाइश दी गई थी! नहीं मानने पर व्यवसाय को बंद करने की चेतावनी दी गई है! कोचिंग इंस्टिट्यूट और रेस्टोरेंट का भी सघन निरीक्षण किया जा रहा है! आईआईएफएल गोल्ड लोन फाइनेंस से 10000 रुपए वसूला गया जुर्माना सुपेला एवं पावर हाउस में आईआईएफएल गोल्ड लोन फाइनेंस का संचालन लॉकडाउन में किया जा रहा था , निगम की टीम को सूचना प्राप्त होने पर दोनों ही स्थानों पर एक साथ कार्यवाही करते हुए 5000-5000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया और संचालन को लॉक डाउन की अवधि में बंद कराया गया! इनके द्वारा ग्राहकों को फोन के माध्यम से कार्यालय में बुलाने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिस पर निगम ने तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई की! आगे किसी प्रकार की शिकायत पाए जाने पर सीलबंद करने की चेतावनी दी गई है!

